न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-2 बारां (राज॰)

पीठासीन अधिकारी

गौरव शर्मा,

(RJS-DJ CADRE)

निर्णय दिनांक: 03.07.2026

सेशन प्रकरण सं. 31/2018

सी.आई.एस. नं. 304/2017

CNR No. RJBR010022062017

एफ.आई.आर.संख्या 309/2017 पुलिस थाना कोतवाली बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 306 सपठित धारा 34 भा॰दं॰सं॰

PART- I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मदनमोहन नागर, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. रघुनाथ पुत्र मांगीलाल आयु 59 वर्ष निवासी घट्टा थाना भंवरगढ़ जिला बारां (राज॰) 02. राजू उर्फ राजमल पुत्र रघुनाथ आयु 29 वर्ष निवासी घट्टा थाना भंवरगढ़ जिला बारां (राज॰) 03. हेमराज पुत्र रघुनाथ आयु 39 वर्ष निवासी घट्टा थाना भंवरगढ़ जिला बारां (राज॰)
प्रतिनिधित्व द्वारा	01.विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह पंवार अभियुक्त रघुनाथ व राजू उर्फ राजमल की ओर से 02.विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश नागर अभियुक्त हेमराज की ओर से

B

अपराध की दिनांक		10.05.2017
एफ॰आई॰आर॰ की दिनांक		11.05.2017
आरोप पत्र की दिनांक		06.11.2017
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		10.09.2018
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		03.07.2026
निर्णय सुनाने की दिनांक		03.07.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआर पीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	रघुनाथ	--	--	306/34 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	--	--
02.	राजू उर्फ राजमल	--	--	306/34 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	--	--
03.	हेमराज	--	--	306/34 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	--	--

PART– II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	जगदीश	अभियोजन कथानक की ताईद से संबंधित
PW2	फूलसिंह	फर्द पंचायतनामा लाश मृतका गीता बाई
PW3	श्यामलाल	पुलिस बयान, फर्द पंचायतनामा लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश, नक्शा मौका
PW4	ओमप्रकाश मालव	मृतका गीताबाई का पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सकीय साक्षी
PW5	भंवरसिंह	अनुसंधान अधिकारी

PW6	कमलेश बाई	पुलिस बयान
PW7	कैलाशपुरी	पुलिस बयान
PW8	भीमसिंह	पुलिस बयान
PW9	राजेन्द्र कुमार	नक्शा मौका
PW10	हेमराज	फर्द पंचायतनामा लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका गीता बाई
PW11	मोहनलाल	पुलिस बयान
PW12	जसवीर मीणा	एफआईआर कता करने व फर्द पंचायतनामा लाश मूर्तिब करने से संबंधित
PW13	रामेश्वर प्रसाद	अनुसंधान अधिकारी
PW14	रघुवीर मेहरा	पुलिस बयान धारा 161 सीआर.पी.सी.व बयान धारा 164 सीआर.पी.सी.

(B) बचाव साक्षी

RANK	**NAME**	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	**NAME**	**NATURE OF EVIDENCE** (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
1	Ex P1	पुलिस बयान गवाह जगदीश

2	Ex P2	तहरीरी रिपोर्ट
3	Ex P3	फर्द पंचनामा लाश मृतका गीता बाई
4	Ex P4	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका गीता बाई
5	Ex P5	फर्द नक्शा मौका
6	Ex P7	पुलिस बयान गवाह श्यामलाल
7	ExP8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका गीताबाई
8	ExP9	एफ.एस.एल.प्राप्ति रसीद
9	ExP10 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
10	ExP11	चाक एफ.आई.आर.
11	ExP12	एफ.एस.एल.रिपोर्ट
12	ExP13	बयानों की आदेशिका
13	ExP14	बयान धारा 164 सीआर.पी.सी. गवाह रघुवीर मेहरा

(B) बचाव प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
NIL		

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
NIL		

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु	वर्णन
NIL		

01. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.05.2017 को परिवादी जगदीश द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि वह ग्राम घट्टा का रहने वाला है। वह और उसकी पत्नी गीताबाई परिवार सहित पार्वती नदी में रानीबड़ौद की तरफ टापरी बनाकर रहकर नदी में पत्थर फोड़ने का काम करते हैं। उनकी टापरी के पास ही उसके भाई रघुनाथ, उसका काका किशनलाल, भाई नैना आदि परिवार के लोग भी टापरियां बनाकर नदी में पत्थर फोड़ने का काम करते हैं। आज से तीन-चार दिन पहले किशनलाल व उसके भाई नैना का आपस में नदी में झगड़ा हुआ था जिसकी रिपोर्ट किशनलाल ने नैना के खिलाफ

थाना किशनगंज में दर्ज करवा दी थी। किशनलाल व नैना के झगड़े में वह और उसकी पत्नी गीताबाई किशनलाल का बीच-चाव कराने गए थे इसी बात की रंजिश को लेकर उसके भाई रघुनाथ बंजारा व उसके लड़के राजू व हेमराज ने उसके व उसकी पत्नी गीताबाई के साथ मारपीट की तथा रघुनाथ उनके ही खिलाफ थाना किशनगंज में रिपोर्ट दर्ज करवाने चला गया। वापस आकर उसके भाई रघुनाथ व उसके लड़के राजू ने उसकी पत्नी गीताबाई के साथ दोबारा मारपीट की। वह नदी में से डर के मारे भाग गया था। उसकी पत्नी इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाने थाना किशनगंज गई। उसके बाद कल दिनांक 10.05.2017 को बारां रिपोर्ट करवाने आई। रघुनाथ, हेमराज व राजू ने उसकी पत्नी गीता को कहा कि अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो नदी में वापस आते ही उसे व उसके पति को मारेंगे। उसकी पत्नी गीता बाई कल दिनांक 10.05.2017 को नियाना ग्रिड के पास उसके पूर्व ससुर कनीराम के पास आ गई तथा रघुनाथ, राजू, हेमराज बजारां निवासी घट्टा के द्वारा गीताबाई के साथ मारपीट करने तथा उनके द्वारा उसे व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देने की वजह से उसकी पत्नी गीताबाई ने नियाना ग्रिड के पास जहर खा लिया जिसको इलाज से बारां सरकारी अस्पताल लेकर आये। उसके बाद राधाकृष्ण अस्पताल लेकर गए जहां से कोटा रेफर कर दिया। जहां आज रात को उसकी मृत्यु हो गई...इत्यादि।

02. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 309/2017 दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रघुनाथ, राजू उर्फ राजमल व हेमराज के विरूद्ध धारा 306, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बनना प्रमाणित पाते हुए आरोप पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां को कमिट किया गया जो कालान्तर में बहस चार्ज के स्तर पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जिस पर प्रकरण दिनांक 27.03.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण रघुनाथ, राजू उर्फ राजमल व हेमराज के विरूद्व धारा 306, 34 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिन्हें अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई, जिसका विवरण निर्णय के पृष्ठ सं० 2 लगायत 3 में किया गया है।

04. सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के पश्चात अभियुक्तगण को धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहों की साक्ष्य को गलत होना स्वयं का निर्दोष होना व उन्हें झूंठा फंसाया जाना कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

05. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

06. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि अभियोजन का मामला तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पर आधारित है जिसमें परिवादी जगदीश द्वारा दिनांक 10.05.2017 को अभियुक्तगण द्वारा उसकी पत्नी को मारपीट कर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने पर उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दिए जाने की वजह से जहर खा लिया जाना अंकित किया है परन्तु न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर परिवादी जगदीश पक्षद्रोही घोषित हुआ है और उसने उसकी पत्नी के साथ कोई घटना नहीं होना बताया है। अन्य गवाह मृतका का भाई श्यामलाल भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है। मृतका गीताबाई के भाई की पत्नी कमलेश ने भी इस बाबत कोई कथन नहीं किया है कि गीताबाई ने जहर क्यों खाया। स्वतंत्र बताए गए गवाह रघुवीर मेहरा ऐसा कोई कथन नहीं करता है कि उसके सामने मृतका गीताबाई ने अपनी मृत्यु का कोई कारण प्रकट किया हो। इस प्रकार किसी भी गवाह द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि गीताबाई ने आत्महत्या क्यों की है। अन्य गवाह औपचारिक प्रकृति के गवाह हैं जिनके द्वारा मृतका के पंचनामा लाश एवं अनुसंधान के दौरान माल जमा करने, माल एफ.एस.एल. पहुंचाने एवं अनुसंधान करने बाबत साक्ष्य प्रस्तुत की है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाए।

08. बहस उभय पक्ष सुनी जाकर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं कि:-

(i) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 10.05.2017 किसी समय मौजा पार्वती नदी टापरी किशनगंज में परिवादी जगदीश की पत्नी गीताबाई जो किशनलाल व नैना के झगड़े में बीच-बचाव करने गई थी, इसी बात की रंजिश को लेकर गीताबाई के साथ अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर मारपीट की जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने बारां आई तब रघुनाथ, हेमराज व राजू द्वारा फरियादी की पत्नी गीताबाई को धमकी दी कि यदि रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उसे व उसके पति को जान से मारेंगे इसी धमकी के परिणामस्वरूप दिनांक 10.05.2017 को नियाना ग्रिड के पास अभियुक्तगण के अत्याचार से दुष्प्रेरित होकर उसने आत्महत्या कर ली?

(ii) क्या अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्ष्य से विचारणीय बिन्दु संख्या 1 को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है? यदि हॉ तो अभियुक्तगण को दंड की किस मात्रा से दंडित किया जाए?

09. उक्त विचारणीय बिन्दुओं को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल **14** गवाह परीक्षित करवाए गए हैं एवं दस्तावेजी साक्ष्य में भी

कुल **14** दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए हैं। अभियोजन पक्ष का मामला तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पर आधारित है जिसमें परिवादी जगदीश द्वारा 11.05.2017 को 11.25 ए.एम.पर थाना कोतवाली बारां पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि वह और उसका भाई रघुनाथ, काका किशनलाल व भाई नैना आदि नदी पर टापरी बनाकर पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। तीन-चार दिन पहले उसके काका किशनलाल व उसके भाई नैना का आपस में झगड़ा हुआ था जिसकी रिपोर्ट काका किशनलाल ने नैना के खिलाफ थाना किशनगंज में दर्ज करवाई थी। इस लड़ाई-झगड़े में उसने व उसकी पत्नी ने किशनलाल का बीच-बचाव किया था। इसी रंजिश को लेकर उसके भाई रघुनाथ व उसके लड़के राजू व हेमराज ने उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और रघुनाथ भी उनके खिलाफ थाना किशनगंज में रिपोर्ट दर्ज करवाने चला गया। वापस आकर रघुनाथ उसका लड़के राजू ने उसकी पत्नी गीताबाई के साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने उसकी पत्नी किशनगंज गई। उसके बाद कल दिनांक 10.05.2017 को बारां रिपोर्ट दर्ज करवाने आई। उसके बाद रघुनाथ, हेमराज व राजू ने उसकी पत्नी को कहा कि अगर उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो नदी में वापस आते ही उसे व उसके पति को मारेंगे। उसे व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देने की वजह से उसकी पत्नी ने नियाना ग्रिड़ के पास जहर खा लिया। इस प्रकार परिवादी जगदीश द्वारा उक्त तहरीरी रिपोर्ट में दिनांक 11.05.2017 से तीन-चार दिन पूर्व हुए झगड़े के मामले में तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करवाने से पूर्व मृतका गीता बाई को अभियुक्तगण द्वारा उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पर जान से मारने की धमकी देने के कारण मृतका गीताबाई द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर लेना उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है। इसके संबंध में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए परिवादी/गवाह **पी.डब्ल्यू. 1 जगदीश** ने सशपथ कथन किया है कि गीताबाई उसकी पत्नी है। गीताबाई के साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथ किसी ने भी मारपीट नहीं की। उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिसने अपर लोक अभियोजक द्वारा जिरह किए जाने पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है परन्तु रिपोर्ट किसने करवाई और किसने लिखी, यह पता नहीं होना बताया है एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह किए जाने पर उसकी पत्नी अपनी मौत से मरना कथन किया है। उक्त गवाह द्वारा तहरीरी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की गई है।

10. न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू. 3 श्यामलाल** जो कि मृतका का भाई था उसने कथन किया कि उसकी बहिन गीताबाई की शादी जगदीश के साथ नाता से दस-ग्यारह साल पहले हुई थी। उसकी बहिन गीताबाई ने दवाई खाई जो मर गई, उसे इस बात का दो-तीन घंटे बाद पता चला। मरने से पहले उसकी बहिन से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। उसकी बहिन ने उससे कुछ नहीं कहा। उसके जीजा और उसके घरवाले उसकी बहिन को अच्छे से रखते थे, वह किस कारण से मरी उसे नहीं पता। उक्त गवाह को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिसने अपर लोक अभियोजक द्वारा जिरह किए जाने पर पुलिस बयान प्रदर्श पी-7 का ए से बी भाग "आज से करीब.........मारपीट की", पुलिस को नहीं दिया जाना एवं सी से

डी भाग "दूसरे दिन....भाग गयी व ई से एफ भाग "रात को....आत्महत्या की है" सुनकर ऐसा बयान पुलिस को नहीं दिया जाना कथन किया है जबकि इस सुझाव को सही बताया है कि उसकी बहिन ने जेठ रघुनाथ व रघुनाथ के लडके हेमराज और राजू के द्वारा परेशान करने से ही आत्महत्या की है। उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह किए जाने पर इस सुझाव को सही बताया है कि प्रदर्श पी-7 बयान उसने पुलिस को नहीं दिए। उसकी बहिन गीताबाई से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। गीताबाई ने उसे कभी नहीं बताया कि रघुनाथ व उसके लड़के राजू, हेमराज से परेशान होकर मर रही है। गीताबाई कब, क्यों और कैसे मारी, उसे नहीं पता। वह तो गांव में रहता है। वहां से गीताबाई के मरने के बाद ही आया था। उसने न तो गीताबाई के साथ कोई झगड़ा देखा और ना ही कोई झगड़ा सुना। इस प्रकार उक्त गवाह मृतका गीताबाई का भाई है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में गीताबाई की दवाई खाने से मौत होने के दो-तीन घंटे बाद घटना का पता चलना कथन किया है। हालांकि अपर लोक अभियोजक के इस सुझाव को उक्त गवाह ने सही बताया है कि उसकी बहिन ने जेठ रघुनाथ व रघुनाथ के लड़के हेमराज व राजू के द्वारा परेशान करने से ही आत्महत्या की है परन्तु अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह किए जाने पर स्पष्ट कथन किया है कि गीताबाई ने उसे कभी नहीं बताया कि रघुनाथ और उसके लड़के हेमराज व राजू से परेशान होकर मर रही है, न तो उसने गीबाई के साथ कोई झगड़ा होते देखा और न ही उसने कोई झगड़ा सुना। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं की है।

11. अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू. 6 कमलेश** जो कि मृतका गीताबाई के भाई की पत्नी है, उसने सशपथ कथन किया है कि उसकी ननद गीताबाई का नाता जगदीश बंजारा के साथ हुआ था। उसका ननदोई परिवादी नदी में पत्थर तोड़ने का काम करता था और टापरी बनाकर नदी में ही रहता था। रघुनाथ और हेमराज भी उसके साथ रहते थे। करीब 5-6 साल पहले वह शाम को पांच बजे करीब गीताबाई से मिलने गए थे। ननद-ननदोई सब भाग गए थे फिर रात को वह डेरे में रहे दूसरे दिन गीताबाई मरी हुई मिली, बारां से बाहर निकलते ही जो शाहबाद रोड़ पर गांव है, वहां मरी हुई मिली फिर वह पार नदी से आये थे और उसको अस्पताल ले गए थे। उसकी ननद, रघुनाथ, राजू, हेमराज, जगदीश सभी लट्ठ लेकर दौड़े, गीताबाई के साथ मारपीट की इस कारण वह वहां से भाग गई। गीताबाई ने जहर क्यों खाया पता नहीं हैं। उन्हें तो वह मरी हुई मिली। मुल्जिमान गीताबाई को परेशान करते थे इसलिए गीता बाई ने आत्महत्या की जबकि जिरह के दौरान इस सुझाव को सही बताया है कि उसने गीताबाई को परेशान करते हुए नहीं देखा। उसने गीताबाई को जहर खाते हुए नहीं देखा। इस प्रकार हालांकि उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में उसकी ननद, रघुनाथ, राजू, हेमराज व जगदीश सभी का लट्ठ लेकर दौड़ना और गीताबाई के साथ मारपीट करना बताया है परन्तु उक्त गवाह के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किए गए उक्त कथन अपने आप में ही विरोधाभासी हैं क्योंकि उसकी ननद स्वयं मृतका गीताबाई व परिवादी जगदीश को भी उसने रघुनाथ, राजू व हेमराज के साथ लट्ठ लेकर दौड़ते देखना कथन किया है। इसके अतिरिक्त लट्ठ लेकर दौड़ने पर

अभियुक्तगण रघुनाथ, राजू व हेमराज ने गीताबाइ के साथ मारपीट की हो और उसने मारपीट होते हुए देखा हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में भी यह कथन किया है कि गीताबाई ने जहर क्यों खाया, उसे नहीं पता, उसे तो गीताबाई मरी हुई मिली थी। ऐसे में उक्त गवाह ने मुल्जिमान का गीताबाई को परेशान करने बाबत कथन अपने मुख्य परीक्षण में किए हैं किन्तु जिरह के दौरान इस सुझाव को सही बताया कि उसने गीताबाई को परेशान करते हुए नहीं देखा और जहर खाते नही देखा। मृतका गीता बाई ने उसे अपने जहर खाने के बाबत कोई कारण बताए हों, ऐसा कोई तथ्य उक्त गवाह की साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है।

12. प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में बताए गए गवाह **पी.डब्ल्यू. 14 रघुवीर मेहरा** ने सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2017 में वह नियाना ग्रिड पावर हाउस पर ठेकेदार के पास संविदाकर्मी के रूप में काम करता था। बंजारा बस्ती में झगड़ा हुआ होगा तो बंजारा बस्ती में किसी महिला ने जहर खा लिया था तो उस महिला को उसके पति के साथ राधाकृष्ण अस्पताल लेकर आया था। उस महिला को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया था फिर कोटा से उसके पति का फोन उसके पास आया था कि उसी पत्नी शांत हो गई। उक्त गवाह ने अपने धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयान प्रदर्श पी-14 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। जिरह के दौरान कथन किया कि जिस महिला ने जहर खाया था वह उसका नाम नहीं जानता। किससे लड़ाई-झगड़ा हुआ और उनके आपस में क्या बात हुई, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने यही बात पुलिस को बताई थी। उसने मजिस्ट्रेट साहब को क्या बात बताई थी, काफी समय होने से आज उसे ध्यान नहीं है। वह मरने वाली महिला को नहीं जानता और उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार हालांकि उक्त गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि मृतका गीता बाई ने उसे अस्पताल ले जाने के दौरान अपनी मृत्यु का कोई कारण उसे बताया हो या उसे उसकी मृत्यु का कोई कारण उसे पता चला हो बल्कि जिरह के दौरान यह कथन किया है कि वह मृतक महिला का नाम नहीं जानता और उसकी किससे लड़ाई-झगड़ा हुआ, उसकी आपस में क्या बात हुई इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उक्त गवाह द्वारा भी अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं की गई है।

13. प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू. 7 कैलाशपुरी** ने सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2017 की बात है, वह दिन के समय आश्रम के गेट पर बैठा था। एक महिला सड़क पर लेटी हुई थी। उसके बाद एक महिला और आई उन दोनों में जाने क्या-क्या बात हुई। इसके बाद उनको ऑटों में लेकर चले गए। वह महिला कौन थी, उसे पता नहीं है, बाद में पता चला की वह महिला बंजारा थी। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी ऐसा कोई कथन नहीं किया कि उसने मृतका को जहर खाते हुए देखा हो या मृतका ने अपनी मृत्यु का कोई कारण उसे बताया हो या उसे ज्ञात हुआ हो। उक्त गवाह ने भी अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं की है।

14. चिकित्सकीय साक्षी **पी.डब्ल्यू. 4 ओमप्रकाश मालव** ने दिनांक 11.05.2017 को मृतका गीता बाई के शव का पोस्टमार्टम करना एवं इस दौरान उसके

शरीर पर तीन चोटें पाई जाकर पूरे शरीर में अकड़न और पीठ पर पोस्टमार्टम स्टेनिंग होना जो फिक्स होना कथन किया है एवं उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम से 24 घंटे के भीतर होना बताया है एवं मृतका की चोटों में दो नीलगू निशान 10X1 सेमी तथा 12X1 सेमी छाती पर बांयी तरफ होना, तीन नीलगू निशान 15X1 सेमी, 13X1 तथा 15X1 सेमी आकार के छाती पर दाहिने तरफ आंचाल के पास होना और नीलगू निशान 10X1 सेमी आकार का बांयी जांघ पर होना तथा उक्त चोट मृत्यु से पूर्व 24 घंटे के भीतर की होना कथन किया है। उक्त गवाह ने मृतका के कॉमन पोईजन के लिए सेम्पल लेकर एफएसएल जांच हेतु पुलिस के सुपुर्द करना और एफएसएल रिपोर्ट आने तक अपनी राय रिजर्व रखना बताया तथा एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पोस्फीन पोईजन के लिए टेस्ट पॉजीटिव होना और मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व लिया गया पोस्फीन पोईजन के कारण शॉक से होना बताया है। उक्त गवाह ने पोस्टमार्टन रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किए हैं एवं जिरह के दौरान इन सुझावों को सही बताया कि मृतका के शरीर पर चोटें भी थीं और यदि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ छाती के बल गिर जाये तो उक्त चोटों के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

15. इस प्रकार उक्त गवाह ने मृतका गीताबाई की मृत्यु पोस्फीन पाईजन खाने से होना कथन करते हुए जहर से मृत्यु होना पुष्ट किया है। जबकि मृतका की तीनों चोटें 24 घंटे के भीतर की बताई गईं हैं। परन्तु उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने से आई हों, ऐसा प्रकट नहीं होता है। किसी भी गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका गीता बाई के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट की गई हो।

16. गवाह **पी.डब्ल्यू.2 फूलसिंह** ने पंचनामा लाश प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर होने बाबत कथन किए हैं। गवाह **पी.डब्ल्यू. 10 हेमराज** ने पंचनामा लाश प्रदर्श पी-3 एवं फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू. 9 राजेन्द्र कुमार** ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 अनुसंधान अधिकारी भंवर सिंह द्वारा उसके सामने बनाया जाना कथन कर नक्शा मौका पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। गवाह **पी.डब्ल्यू. 11 मोहनलाल** ने दिनांक 26.05.2017 को एम.एल.ओ.द्वारा दी गई दो कांच की बर्नी जमा मालखाना कर उन्हें इन्द्राज किया जाना और उसके बाद दिनांक 21.06.2017 को उक्त जब्तशुदा माल मय अग्रेषण पत्र भीमसिंह कॉन्स्टेबल को एफएसएल कोटा में जांच हेतु दिया जाना जिसके द्वारा दिनांक 23.06.2017 को माल जमा कर वापस आकर रसीद उसके समक्ष पेश किया जाना जो उसके द्वारा आई.ओ.को सुपुर्द किया जाना कथन किया है एवं असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-10 न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया है जबकि अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू.8 भीमसिंह** ने दिनांक 21.06.2017 को प्रकरण में सील्डशुदा दो बर्नी मार्क ए व बी मालखाना इंचार्ज मोहनलाल से प्राप्त कर एस.पी.कार्यालय बारां जाकर अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर एफएसएल कोटा में जमा करवाने और रसीद प्राप्त कर वापस मालखाना इंचार्ज

को संभलाया जाना कथन किया है एवं रसीद प्रदर्श पी-9 प्रदर्शित करवाई है। इस प्रकार उक्त सभी गवाहान द्वारा औरचारिक प्रकृति की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

17. गवाह **पी.डब्ल्यू. 12 जसवीर मीणा** ने दिनांक 11.05.2017 को परिवादी जगदीश द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण दर्ज कर मृतका का पंचनामा बनाया जाकर लाश दाह संस्कार हेतु उसके पति जगदीश को सुपुर्द किया जाना एवं मृतका की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करना कथन किया है। उक्त गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2, पंचनामा लाश प्रदर्श पी-3, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी-11 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है एवं एफ.एस.एल.रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 के रूप में प्रदर्शित करवाई है। उक्त गवाह ने प्रारम्भिक अनुसंधान किये जाने बाबत औपचारिक साक्ष्य प्रस्तुत की है एवं ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसने अनुसंधान में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित पाया हो। जबकि अन्य अनुसंधान अधिकारी **पी.डब्ल्यू. 13 रामेश्वर प्रसाद** ने पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर मौका मुआयना की तस्दीक कर गवाहान के बयान लेखबद्ध करना, प्रकरण में जब्तशुदा माल एफएसएल भिजवाना एवं गवाह रघुवीर मेहरा के धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयान करवाना कथन करते हुए अनुसंधान से अभियुक्तगण रघुनाथ, हेमराज व राजू के विरूद्ध धारा 306 भा.दं.सं. का जुर्म प्रमाणित पाए जाना कथन किया है। परन्तु उक्त गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि किस आधार पर उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाया था। इस प्रकार गवाह द्वारा भी अपने द्वारा किए गए औपचारिक अनुसंधान को न्यायालय के समक्ष कथन किया है।

18. इस प्रकार पत्रावली पर आई संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन एवं मनन करने पर प्रकट होता है कि अभियोजन का मामला परिवादी जगदीश द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पर आधारित है जिसमें उसने अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में की गई मारपीट के संबंध में मृतका गीता बाई का पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से मना कर रिपोर्ट दर्ज करवाने पर जान से मारने की धमकी दिया जाना और इस बात से आहत होकर उसके द्वारा जहर खा लिया जाना बताया है। परन्तु न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू. 1 जगदीश पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने उक्त तहरीरी रिपोर्ट की पुष्टि अपनी साक्ष्य के दौरान नहीं की है और ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि मृतका गीताबाई की मृत्यु से पूर्व अभियुक्तगण ने उसे किसी प्रकार की कोई धमकी दी हो जिससे वह आहत हुई हो आदि इस कारण उसने जहर खाकर आत्महत्या की हो। अन्य गवाह मृतक का भाई पी.डब्ल्यू. 3 श्यामलाल ने मृतका की मृत्यु के तीन-चार घंटे बाद उसकी मृत्यु की जानकारी होना और मृतका द्वारा उसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं बताया जाना कथन किया है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 6 कमलेश ने हालांकि अभियुक्तगण द्वारा गीताबाई को परेशान करने से गीताबाई द्वारा आत्महत्या करना अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है परन्तु जिरह के दौरान कथन किया है कि उसने गीताबाई को परेशान करते हुए नहीं देखा। इस प्रकार उक्त गवाह के कथन से भी

अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं होती है। स्वतंत्र बताए गए गवाह पी.डब्ल्यू. 14 रघुवीर मेहरा ने केवल मृतका गीताबाई को उसके पति के साथ राधाकृष्ण अस्पताल में ले जाना कथन किया है परन्तु उसने जहर क्यों खाया, उसका किससे झगड़ा हुआ, उनके आपस में क्या बातचीत हुई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं होना कथन किया है तथा अन्य स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू. 7 कैलाशपुरी ने एक महिला को सड़क पर लेटे हुए देखना और दूसरी अन्य महिला का वहां आकर उससे कोई बात करना और उसके बाद उसको ऑटो में ले जाना कथन किया है। मृतका गीता बाई की मृत्यु के संबंध में उक्त गवाह ने कोई कथन नहीं किए हैं। इस प्रकार परिवादी व अन्य घटना से सुसंगत बताए गए किसी भी गवाह ने मृतका गीता बाई की मृत्यु के संबंध में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण रघुनाथ, हेमराज व राजू द्वारा उनके सामने मृतका गीता बाई से किसी प्रकार की कोई मारपीट की हो और रिपोर्ट दर्ज करवाने से मना कर जान से मारने की धमकी दी हो जिससे आहत होकर मृतका गीता बाई ने जहर खाकर आत्महत्या की हो। हालांकि चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू. 4 ओमप्रकाश मालव ने मृतक गीताबाई की मृत्यु पोस्फीन पोईजन खाने से होना बताते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 की पुष्टि की है परन्तु उक्त जहर मृतका ने अभियुक्तगण से आहत होकर लिया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रकट नहीं हुई है। अन्य गवाह द्वारा औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

19. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए तब तक दोषी करार नहीं दिया जा सकता जब तक उसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं करें यदि अभियोजन की कहानी में तनिक भी संदेह रह जाता है तो अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। परिणामतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय की विनम्र राय में अभियोजन पक्ष अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 10.05.2017 किसी समय मौजा पार्वती नदी टापरी किशनगंज में परिवादी जगदीश की पत्नी गीताबाई कजो किशनलाल व नैना के झगड़े में बीच-बचाव करने गई थी, इसी बात की रंजिश को लेकर गीताबाई के साथ अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर मारपीट की जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने बारां आई तब रघुनाथ, हेमराज व राजू द्वारा फरियादी की पत्नी गीताबाई को धमकी दी कि यदि रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उसे व उसके पति को जान से मारेंगे इसी धमकी के परिणामस्वरूप दिनांक 10.05.2017 को नियाना ग्रिड के पास अभियुक्तगण के अत्याचार से दुष्प्रेरित होकर उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे में अभियुक्तगण रघुनाथ, राजू उर्फ राजमल व हेमराज को धारा 306/34 भारतीय दंड संहिता से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

ः-<u>आदेश</u>-ः

20. परिणामतः अभियुक्तगण 01. रघुनाथ पुत्र मांगीलाल आयु 59 वर्ष निवासी घट्टा थाना भंवरगढ़ जिला बारां (राज०), 02. राजू उर्फ राजमल पुत्र रघुनाथ

आयु 29 वर्ष निवासी घट्टा थाना भंवरगढ़ जिला बारां (राज०) व 03. हेमराज पुत्र रघुनाथ आयु 39 वर्ष निवासी घट्टा थाना भंवरगढ़ जिला बारां (राज०) को धारा 306/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है

21. अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

22. प्रकरण में निस्तारण योग्य कोई माल लंबित नहीं है।

23. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से पीड़ित प्रतिकर बाबत अनुसंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-2, बारां (राज०)

24. निर्णय आज दिनांक **03.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-2, बारां (राज०)